हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-11-20 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी के हक-हिस्से की खातेदारी भूमि ख.सं. 109 में [illegible] जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। उक्त स्वीकारोक्ति पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी सहमति जाहिर की गई। जिस पर बहस प्रार्थी सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का इस्तदुआ चाही।	गाँव की खातेदारी भूमि ख.न. 109 [illegible] जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील टिंवरी के राजस्व ग्राम उम्मेदनगर के ख.सं. 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व ख.सं. 109/2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा भूमि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण सं. 01 के दादा ने प्रार्थी के भाई मिश्रीलाल से खरीद की थी। उक्त ख.सं. 109 में अलग से बटा नम्बरों में दर्ज है जिसकी राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं हुई है। जब प्रार्थी ने दिनांक 26.6.2017 को हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि के नक्शे की नकल ली तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि ख.सं. 109 की हल्का पटवारी के द्वारा अवैधानिक तरीके से गलत व अनुचित तरमीम करवा दी है इसलिए अप्रार्थी विधि विरुद्ध तरीके से सड़क पर बेश कीमती भूमि का बेचान कर प्रार्थी को दखलंदाजी हेतु आमदा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को दौराने दावा सुरक्षित करने के लिए भी मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखी जानी न्यायोचित है।	
अतः उभय पक्षकारान की सहमति से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से उभय पक्षकारान को इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ~~[illegible]~~ तहसील टिंवरी के राजस्व ~~रेकर्ड~~ ग्राम उम्मेदनगर की सरहद में	

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	में स्थित ख.नं. 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा व ख.नं. 109/2 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि का दाखिलखारिज मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फाइल शुमार होकर नकल से काम की जाकर मुतवातिर पत्र के साथ वापसी हो। [signature] सहायक कलेक्टर, [illegible]